

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय : जबलपुर

(परीक्षा सेल)

कं० 104/सी०जे०/16


जबलपुर, दिनांक 02.11.2016

शुद्धि पत्र

दिनांक 06.10.2016 को प्रकाशित मध्यप्रदेश सिविल जज वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2016 के विज्ञापन के संबंध में ।

उपरोक्त उल्लेखित विज्ञापन के खण्ड अ-छ: में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट के खण्ड (अ) में आये वाक्यांश "मध्यप्रदेश के मूल निवासी3 वर्ष की छूट दी जायेगी ।" के उपरान्त "दिव्यांग आवेदकों को उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जायेगी ।" जोड़ा जाये ।

विज्ञापन दिनांक 06.10.2016 तदनुरूप संशोधित किया जावे ।


(उमेश कुमार श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार (परीक्षा)